न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 08/2024 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

1. रोहित खण्डेलवाल पुत्र श्री कैलाश चन्द्र खण्डेलवाल जाति महाजन, निवासी मकान नं॰ 9/105, विद्याधर नगर, पानी की टंकी के पास, सैक्टर 9, जयपुर ।
2. श्रीमती अंशुल पत्नी श्री रोहित खण्डेलवाल जाति महाजन, निवासी मकान नं॰ 9/105, विद्याधर नगर, पानी की टंकी के पास, सैक्टर 9, जयपुर ।

अपीलार्थीगण

बनाम

1. कैलाश चन्द्र खण्डेलवाल पुत्र स्व॰ श्री रामस्वरूप खण्डेलवाल जाति महाजन निवासी मकान नं॰ 9/105, विद्याधर नगर, पानी की टंकी के पास, सैक्टर 9, जयपुर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक।

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्व आदेश दिनांक 19.10.2023 उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर प्रकरण संख्या 40/2023 ब उनवानी कैलाश चन्द्र खण्डेलवाल बनाम रोहित खण्डेलवाल व अन्य।

थतः–

1. अपीलान्ट संख्या 01 मय प्रतिनिधि उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थी संख्या 01 मय प्रतिनिधि उपस्थित है।

निर्णय दिनांक 29.08.2024

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर के प्रकरण संख्या 40/2023 ब उनवानी कैलाश चन्द खण्डेलवाल बनाम रोहित खण्डेलवाल व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 19.10.2023 से व्यथित होकर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के एस बी सिविल रिट पीटीशन नम्बर 18260/2023 आदेश दिनांक 06.02.2024 की पालना में अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी संख्या 01 मय प्रतिनिधि के उपस्थित है। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

बहस उभय पक्ष की सुनी गई।

अपीलार्थी संख्या 1 ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि मान्य अधिकरण के समक्ष जिस सम्पत्ति से परिवादी ने अपीलार्थीगण को बेदखली हेतु अनुतोष चाहा है उस सम्पत्ति के संबंध में दीवानी न्यायालय माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम संख्या 4 जयपुर महानगर द्वितीय के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 1 रोहित खण्डेलवाल के द्वारा प्रस्तुत विभाजन एवं घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया जिस वाद पत्र में वादग्रस्त सम्पत्ति (ब) में इस प्रकरण में विवादित सम्पत्ति का उल्लेख है उसके संबंध में दीवानी न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 03.06.2023 को आदेश पारित कर स्थगन आदेश पारित किया जिसका सार इस प्रकार है – यह दावा सम्पत्ति के विभाजन का दावा है जो कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर बाद साक्ष्य ही निश्चित किया जा सकता है। इस स्टेज पर कोई निश्चित राय व्यक्त नहीं की जा सकती है। उपरोक्त समस्त विवेचनानुसार प्रार्थी का आंशिक रूप से वादग्रस्त सम्पत्ति "ब" पर प्रथम दृष्टया मामला बनना पाया जाता है। शेष वादग्रस्त सम्पत्ति पर प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला बनना नहीं पाया जाता है। अतः आंशिक रूप से अंतरिम प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाकर वादग्रस्त सम्पत्ति "ब" पर उभय पक्षकारान को मौके की यथा स्थिति बनाये रखने के लिए आदेश दिये जाते है। उक्त आदेश दिनांक 03.06.2023 से इस प्रकरण के दोनों पक्षकारान पाबंद है जो आदेश आज भी प्रभावी है। प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 07.08.2024 नियत है। इस कारण इस प्रकरण में संबंधित सम्पत्ति मकान नम्बर 9/105 पानी की टंकी के पास, विद्याधर नगर, जयपुर के संबंध में उसमें अपीलार्थीगण के अधिकारों के संबंध में साक्ष्य के आधार पर अधिकार तय होने है । ऐसी स्थिति में जब मामला दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है एवं प्रकरण दीवानी न्यायालय में ट्रायल ज्यूडिश है, तब उक्त सम्पत्ति के संबंध में माननीय अपीलीय अधिकरण को किसी भी प्रकार का ऐसा कोई आदेश पारित किये जाने का क्षेत्राधिकार नहीं है। जिस आदेश से दीवानी न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम संख्या 4 जयपुर महानगर द्वितीय के आदेश दिनांक 03.06.2023 की अवहेलना होती हो व अवमानना की परिभाषा में आता है। परिवादी ने अधिकरण के समक्ष दिनांक 12.09.2022 को प्रकरण में आदेश पारित करते समय व बहस के दौरान यह कथन किया कि–प्रार्थी परिवादी को आर्थिक अनुतोष नहीं चाहिये । इस कारण आर्थिक अनुतोष के संबंध में किये गये तथ्य व अनुतोष स्वतः ही निरस्त हो जाते है, जिसे माननीय अपीलीय अधिकरण को प्रकरण के पुनः निस्तारण के समय निर्णित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकरण में विवादित सम्पत्ति परिवादी ने अन्य पैत्रृक सम्पत्ति जो कि प्रत्यर्थी संख्या 1 की दादी श्रीमती सनगारी देवी के द्वारा कय की गई व निर्मित सम्पत्ति व उसमें बनी हुई चार दुकाने व गोदाम की आमदनी से व प्रत्यर्थी की दादी श्रीमति सनगारी देवी की मदद व अर्थिक सहायता से उक्त सम्पत्ति को कय किया व उसका बेसमेन्ट व एक मंजिल

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

ग्राण्डड फ्लोर का निर्माण करवाया तथा फर्स्ट फ्लोर का निर्माण अपीलार्थी संख्या 1 ने अपनी स्वयं की आमदनी से वर्ष 2003 में करवाया। अपीलार्थी संख्या 1 अपनी पढाई के साथ साथ उक्त पैत्रक सम्पत्ति में बनी हुई दुकान में अपने पिता के साथ दुकान पर बैठ कर व्यवसाय किया है। अलग से तेल व घी की मार्केटिंग का कार्य किया जिससे होने वाली आमदनी से अपीलार्थी संख्या 1 ने उक्त मकान के फस्ट फ्लोर का सम्पूर्ण निर्माण करवाया जिसमें खर्च हुई राशि में परिवादी व परिवादी के अन्य पुत्र आशीष खण्डेलवाल की कोई राशि नहीं लगी, इसी कारण अपीलार्थी संख्या 1 ने उक्त मकान के फस्ट फ्लोर पर अपने स्वयं के नाम से बिजली का कनेक्शन भी ले रखा है जो परिवादी की सहमति से लगा है। क्योंकि फस्ट फ्लोर का सम्पूर्ण निर्माण जिसमें कि अपीलार्थीगण निवास करते है, अपीलार्थीगण के द्वारा अपनी स्वयं की आमदनी से निर्मित करवाय गया फ्लोर है। जिसमें अपीलार्थी संख्या 1 के नाम से अलग से बिजली का कनेक्शन लगा हुआ है, इसलिए उक्त सम्पत्ति में अपीलार्थीगण फस्ट फ्लोर पर निवास करते है। इसलिए उक्त सम्पत्ति के उस हिस्से से, फ्लोर से परिवादी का कोई लेना देना नहीं है। परिवादी का कोई स्वामित्व नहीं है । इस कारण परिवादी को कतई अधिकार नहीं है कि, परिवादी अपीलार्थीगण को उनके द्वारा निर्मित करवाई गई सम्पत्ति जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम से विद्युत कनेक्शन लगा हुआ है एवं अपीलार्थीगण परिवादी से अलग रहते है, जिसमें परिवादी को कोई अधिकार नहीं है कि वह अपीलार्थीगण को उस सम्पत्ति से बेदखल करवाये। इस कारण परिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। माननीय दीवानी न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम संख्या 4 जयपुर महानगर द्वितीय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण रोहित खण्डेलवाल बनाम कैलाश चन्द खण्डेलवाल व अन्य में प्रस्तुत वादपत्र व उसमें इस प्रकरण में विवादित सम्पत्ति का उल्लेख विवादित सम्पत्ति "ब" के रूप में किया गया है उस वाद पत्र की प्रमाणित फोटो प्रति एवं प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में पारित आदेश दिनांक 03.06.2023 व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र जिसमें इस प्रकरण में विवादित सम्पत्ति "ब" के रूप में प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित है, का प्रार्थना पत्र की प्रमाणित की फोटो प्रति एवं दिनांक 03.06.2023 का न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रमाणित प्रति की फोटो कॉपी अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई है। परिवादी ने जिस सम्पत्ति से अपीलार्थीगण को बेदखल करवाने का कथन किया है, उस सम्पत्ति का विवाद दीवानी न्यायालय द्वारा निस्तारित होना है तथा दीवानी न्यायालय के समक्ष प्रकरण विचाराधीन है, इसलिए धारा 23 के प्रावधान उक्त सम्पत्ति पर लागू नहीं होते है। धारा 23 में यह प्रावधानित किया गया है कि जहां कोई भी वरिष्ठ नागरिक जिसने इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात उपहार के जरिये या अन्यथा अपनी सम्पत्ति किसी ऐसी शर्त के अनुसार अन्तरित की हो, कि अन्तरणी, अन्तरक को मूल सुख सुविधाए और मूल भौतिक आवश्यकताए प्रदान करेगा और ऐसा अन्तरणी ऐसी सुख सुविधाए और भौतिक सुविधाए प्रदान करने में असफल होता है या मना कर देता है तो सम्पत्ति का उक्त अन्तरण कपट या छल कपट द्वारा या अनावश्यक प्रभाव के अधीन किया हुआ माना जायेगा और अन्तरक के विकल्प पर अधिकरण द्वारा व्यर्थ घोषित किया जावेगा। इस प्रकार धारा 23 में किसी भी सम्पत्ति से

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

बेदखल किये जाने के संबंध में कोई प्रावधान नही है, बल्कि किसी उपहार पत्र को जो कि इस शर्त के साथ अपने पुत्र या संतान के पक्ष में निष्पादित किया गया हो जिसमें यह शर्त हो कि उपहार गृहिता उपहारकर्ता की मूल सुख सुविधाए और भौतिक आवश्यकताए प्रदान करने में असफल हो जाता है तो ऐसा अन्तरण छल कपट द्वारा माना जावेगा, के संबंध में कानूनन प्रावधानित किया गया है, परन्तु इस प्रकरण में जो विवादित बिन्दू है वह कोई उपहार पत्र नहीं है ना ही कोई उपहार के माध्यम से सम्पत्ति अन्तरित किये जाने का कथन किया गया है। बल्कि अपीलार्थीगण मकान नम्बर 9/905, पानी की टंकी के पास सेक्टर 9, विद्याद्यर नगर फस्ट फ्लोर पर निवास करते है व फस्ट फ्लोर अपीलार्थीगण ने अपने स्वयं की निजी आमदनी से निर्मित करवाया है और उसमें अपीलार्थी संख्या 1 ने अपने नाम से बिजली का कनेक्शन भी ले रखा है । बिजली का बिल इस लिखित बहस के साथ संलग्न प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त अधिनियम में यह सर्व प्रथम की शर्त है कि कोई भी अन्तरण इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात का होना आवश्यक है और अपीलार्थीगण उक्त सम्पत्ति में वर्ष 2003 से फस्ट फ्लोर को बना कर निवास कर रहे। इतना ही नहीं उक्त सम्पत्ति में बिजली का कनेक्शन अपीलार्थी संख्या 1 के नाम से लगा हुआ जिससे यह प्रथम दृष्टया प्रमाणित है कि अपीलार्थी वर्ष 2003 से उक्त मकान के फस्ट फ्लोर पर परिवादी से अलग निवास कर रहे है। इस कारण प्रथमतः परिवादी ने सम्पत्ति को अन्तरण उपहार या अन्य किसी भी माध्यम से अपीलार्थीगण के पक्ष में नहीं किया और अपीलार्थीगण जो निवास कर रहे है वह इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व से निवास कर रहे है। इस कारण धारा 23 के प्रावधान इस प्रकरण पर लागू नहीं होते है। परिवादी ने अपने परिवाद की मद संख्या 3 में अपीलार्थी संख्या 1 व 2 का विवाह वर्ष 2006 में किया जाना वर्णित किया है और पैरा संख्या 4 में विवाह के बाद मकान नम्बर 9/205 में प्रथम तल निर्मित 3 BHK पर प्रार्थी की सहमति से निवास करना वर्णित किया है जिससे यह प्रथम दृष्टया प्रमाणित है कि अपीलार्थीगण वर्ष 2006 से उक्त सम्पत्ति में निवास कर रहे है और उक्त अधिनियम माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 दिनांक 29.12.2007 से प्रभावी हुआ है । इस कारण अपीलार्थी इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व से ही उक्त सम्पत्ति में निवास कर रहे है जो किसी प्रकार के उपहार के आधार पर या अन्य किसी प्रकार से अन्तरण के आधार पर निवास नहीं कर रहे है। इस कारण उक्त अधिनियम की धारा 23 के प्रावधान इस प्रकरण पर लागू नहीं होते है। क्योंकि उक्त अधिनियम भूतलक्षी नहीं है और अधिनियम की धारा 23 में स्पष्ट रूप से अधिनियम के पश्चात का शब्द वर्णित है। इसलिए उक्त सम्पत्ति से बेदखल किये जाने के आदेश कानूनन पारित किये जाने का क्षेत्राधिकार मान्य अधिकरण को नहीं है। इस कारण प्रार्थना पत्र खारिज जाने योग्य है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के द्वारा निपादित न्यायिक दृष्टान्त एस बी सिविल रिट पीटीशन संख्या 412/2019 में सम्पत्ति खाली करवाये जाने का अधिकार अधीनस्थ अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी को नहीं दिया है, बल्कि उक्त न्यायिक दृष्टान्त का उल्लेख करते हुए दिनांक 21.02.2022 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने एस. बी. सिविल रिट पीटशीन नम्बर 1936/2022 विनोद शर्मा बनाम

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

शान्ति देवी के प्रकरण में वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 में सम्पत्ति के सम्बन्ध में पैरा संख्या 60 व 64 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। इसके अतिरिक्त माननीय केरला हाईकोर्ट, माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट एवं माननीय उडीसा हाईकोर्ट आदि के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों का उल्लेख करते हुए उन पर मनन कर उनका इन्टरपिटीशन कर अधिनियम की सभी धाराओं जिसमें प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अधिकारों सहित समस्त अधिकारों व नियमों को निर्णय में लिख कर सिद्धान्त प्रतिपादित कर दिनांक 21.02.2022 को निर्णय पारित किया जिससे स्पष्ट रूप से सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 में सम्पत्ति से बेदखल किये जाने के लिये अधीनस्थ अधिकरण या माननीय अपीलीय अधिकरण को अधिकार प्रावधानित नहीं है । इस कारण जब अपीलार्थीगण को सम्पत्ति से बेदखल किये जाने के लिए आदेश पारित किये जाने के लिए कोई प्रावधान उक्त अधिनियम में है ही नहीं तो ऐसी स्थिति में किसी प्रकार से सम्पत्ति से बेदखल किये जाने का निर्णय माननीय अधिकरण पारित नहीं कर सकता है । इस कारण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त न्यायिक दृष्टान्त के आधार पर माननीय अधिकरण को प्रार्थी के प्रकरण पर बेदखल किये जाने हेतु आदेश पारित किया जाना न्याय संगत नही है। इसलिए प्रार्थी का परिवाद प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायलय जयपुर पीठ जयपुर ने एक अन्य प्रकरण एस. बी. सिविल रिट पीटीशन नम्बर 20305/2018 जिसमें डी बी सिविल रेफरेन्स नं॰ 3/2020 उनवानी ओम प्रकाश सैनी व अन्य बनाम मनभर देवी के कारण में दिनांक 17.07.2023 को आदेश पारित किया जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त जो कि (2021) 15 SCC 730, उनवानी प्रकरण एस. सुनिता बनाम दी डिप्टी कमीश्नर बेंगलूर अरबन डिस्ट्रीक एण्ड अदर्स में सिद्धान्त पारित किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय पारित कर यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अधिनियम के लागू होने से पूर्व के किसी भी अन्तरण पर उक्त अधिनियम लागू नहीं होगा एवं उक्त अधिनियम के आधार पर उपखण्ड अधिकारी को बेदखली के आदेश पारित किये जाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है अर्थात क्षेत्राधिकारिता नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा पारित उक्त सिद्धान्त के आधार पर एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित सिद्धान्त के आधार पर परिवादी का परिवाद पत्र खारिज किये जाने योग्य है। परिवादी ने जो माननीय अधिकरण के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था उसके मद संख्या 1 में अपीलार्थी संख्या 1 की आय 50,000/–रूपये लिखी थी, परन्तु यहां यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि माननीय अधिकरण के समक्ष परिवादी ने किसी भी प्रकार से कोई आर्थिक अनुतोष के रूप में भरण पोषण के संबंध में अनुतोष नहीं चाहा था। माननीय अधिकरण के समक्ष प्रार्थी ने अपीलार्थी से किसी प्रकार की कोई भरण पोषण की राशि नहीं लेने के लिए कथन किया था, जिसका उल्लेख दिनांक 12.09.2022 के निर्णय में है तथा उक्त निर्णय पर परिवादी व उसके अधिवक्ता दोनों के हस्ताक्षर है । परिवादी ने अपने परिवाद पत्र के अनुतोष के मद में भी किसी प्रकार की कोई भरण पोषण राशि अपीलार्थीगण से प्राप्त किये जाने के लिए अनुतोष नहीं चाहा है तथा अपीलार्थीगण को वाद ग्रस्त सम्पत्ति से बेदखल

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

किये जाने के संबंध में भी कोई अनुतोष नहीं चाहा है । मात्र अन्तरिम अनुतोष चाहा था, परन्तु मूल अनुतोष में बेदखली हेतु कोई अनुतोष नहीं चाहा है । इसलिए परिवादी का परिवाद पत्र खारिज किये जाने योग्य है। परिवादी ने परिवाद पत्र धारा 5 एवं धारा 21 व 22 के अन्तर्गत परिवाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है, परन्तु धारा 5 के सबंध में परिवादी ने कोई अनुतोष नहीं चाहा है एवं धारा 21 व 22 के संबंध में भी कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है इसलिए परिवादी का परिवाद पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर परिवादी प्रत्यर्थी संख्या 1 का परिवाद पत्र जो धारा 5 एवं धारा 21 व 22 को एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.10.2023 को खारिज फरमाया जावे।

प्रत्यर्थी संख्या 1 के प्रतिनिधि ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 से मारपीट व कूरता पूर्वक व्यवहार करने के कारण धारा 5 व 21 व 22 एवं नियम 2010 के तहत वरिष्ठ नागरिक की सम्पत्ति की सुरक्षार्थ अपीलार्थी को बेदखल करने के लिए अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष परिवाद दायर किया गया था, जिस पर उभय पक्ष को सुन कर ही अपीलाधीन आदेश पारित कर प्रत्यर्थी के स्वामित्व की सम्पत्ति मकान नं॰ 9/105, विद्याधर नगर पानी की टंकी के पास, सैक्टर 9, विद्याधर नगर जयपुर को आदेश पारित होने के 30 दिवस के भीतर स्वयं के खर्चे पर खाली करके कब्जा प्रार्थी/प्रत्यर्थी को सुपुर्द करने के आदेश दिये गये है जो विधि सम्मत है। अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अपीलार्थी ने मान्य सिविल न्यायालय का विवादित सम्पत्ति पर सिविल न्यायालय से स्थगन होने का कथन कर अपील को खारिज किये जाने का निवेदन किया है, किन्तु माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एव कल्याण अधिनियम की धारा 27 सिविल न्यायालयों की अधिकारिता वर्जन (Jurisdiction of civil Court barred) करती है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं मिसल मातहत का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

अधीनस्थ अधिकरण ने मकान नम्बर 9/105, विद्याधर नगर, पानी की टंकी के पास, सैक्टर 9 विद्याधर नगर, जयपुर से आदेश पारित होने के 30 दिवस के भीतर अपीलार्थीगण को स्वयं के खर्चे पर खाली करके कब्जा परिवादी प्रार्थी कैलाश चन्द खण्डेलवाल को सुपुर्द किये जाने के आदेश पारित किये है, जिसे अपीलार्थीगण ने अपास्त किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत बने माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम 2010 में माता–पिता के जीवन एवं उसकी सम्पत्ति की रक्षा के लिए धारा 20 (5) में प्रावधान दिये गये है। माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम 2010 की धारा 20 (5) इस प्रकार है–" किसी वरिष्ठ नागरिक के जीवन या सम्पत्ति के किसी खतरे की दशा में जिला मजिस्ट्रेट या सम्यकरूप से प्राधिकृत उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी का ऐसे वरिष्ठ नागरिक के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा करने का कर्तव्य होगा। " विवादित सम्पत्ति प्रत्यर्थी संख्या 1 कैलाश चन्द खण्डेवाल के स्वामित्व की है जो अपीलार्थी संख्या 1 के पिता है। उक्त अधिनियम के माता–पिता एवं वरिष्ठ

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

नागरिकों का भरण पोषण नियम 2010 की धारा 20 (5) में माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक की सम्पत्ति की सुरक्षा करने का कर्तव्य जिला मजिस्ट्रेट व उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी को दिया गया है जिसके तहत माता–पिता या वरिष्ठ नागरिक की मांग पर पुत्र व पुत्रवधु को मकान से बेदखल करने का आदेश दिया जा सकता है। अन्तरण लिखित अथवा मौखिक हो सकता है। इस सम्बध में समय–समय पर माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी माता–पिता व वरिष्ठ नागरिक के पक्ष में निर्णय पारित किये गये है। इसलिए अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है।

3. अधीनस्थ अधिकरण का अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.10.2023 यथावत रखा जाता है। आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

आदेश आज दिनांक 03.09.2023 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
कलक्टर) जयपुर